रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 1990/श्रावण 8, 1912
No. 314] NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 1990/SRAVANA 8, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1990

अधिसूचना

सा.का.नि. 675. (अ).—केन्द्रीय सरकार, राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 (1982 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1990 है।
(2) ये नियम 30 जुलाई, 1990 को प्रवृत्त होंगे।

2. राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची II और III के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

अनुसूची II

कतिपय मामलों में राज्यपालों के भत्ते

[नियम 6 देखिए]

| राज्य का नाम | आतिथ्य व्यय | सत्कार भत्ता | कार्यालय व्यय | पदीय आवास (आवासों) के साज सामान का अनुरक्षण और मरम्मत | संचिवा भत्ता | पर्यटन व्यय | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 1,30,700 | 36,300 | 2,17,800 | 87,100 | 3,92,000 | 5,80,800 | 14,44,700 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | 43,600 | 10,900 | 1,08,900 | 43,600 | 1,74,200 | 6,17,100 | 9,98,300 |
| 3. आसाम | 54,500 | 18,200 | 1,81,500 | 72,600 | 2,17,800 | 3,99,300 | 9,43,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. बिहार . | 54,500 | 18,200 | 2,17,800 | 1,01,600 | 2,32,300 | 4,21,000 | 10,45,400 |
| 5. गुजरात . | 1,30,700 | 36,300 | 2,17,800 | 1,08,900 | 4,35,600 | 3,63,000 | 12,92,300 |
| 6. हरियाणा . | 72,600 | 21,800 | 1,45,200 | 72,600 | 3,63,000 | 2,90,400 | 9,65,600 |
| 7. हिमाचल प्रदेश . | 72,600 | 21,800 | 1,45,200 | 1,08,900 | 3,63,000 | 2,90,400 | 10,01,900 |
| 8. कर्नाटक . | 72,600 | 36,300 | 1,81,500 | 72,600 | 7,26,000 | 3,63,000 | 14,52,000 |
| 9. केरल . . | 65,300 | 21,800 | 1,45,700 | 72,600 | 3,99,300 | 2,17,800 | 9,22,000 |
| 10. मध्य प्रदेश . | 87,100 | 29,000 | 2,17,800 | 72,600 | 3,63,000 | 3,63,000 | 11,32,500 |
| 11. महाराष्ट्र . | 217,800 | 36,300 | 2,17,800 | 3,63,00 | 10,89,000 | 9,07,500 | 28,31,400 |
| 12. मणिपुर . | 43,600 | 10,900 | 1,08,900 | 43,600 | 1,74,200 | 3,08,600 | 6,89,800 |
| 13. मेघालय . | 43,600 | 10,900 | 1,08,900 | 43,600 | 1,74,200 | 3,08,500 | 6,89,800 |
| 14. मिजोरम . | 43,600 | 10,900 | 1,08,900 | 43,600 | 1,74,200 | 6,17,100 | 9,98,300 |
| 15. नागालैण्ड . | 29,000 | 10,900 | 1,08,900 | 18,200 | 2,90,400 | 3,02,500 | 7,59,900 |
| 16. उड़ीसा . | 54,500 | 18,200 | 1,45,200 | 72,600 | 2,28,000 | 3,41,200 | 8,59,700 |
| 17. पंजाब . | 72,600 | 21,800 | 1,45,200 | 72,600 | 3,63,000 | 3,63,000 | 10,38,200 |
| 18. राजस्थान . | 87,100 | 21,800 | 1,45 200 | 72,600 | 3,63,000 | 3,63,000 | 10,52,700 |
| 19. सिक्किम . | 54,500 | 21,800 | 1,45,200 | 43,600 | 1,81,500 | 3,02,500 | 7,49,100 |
| 20. तमिलनाडु . | 1,45,200 | 36,300 | 2,17,800 | 1,81,500 | 7,26,000 | 3,63,000 | 16,69,800 |
| 21. त्रिपुरा . | 21,800 | 6,100 | 1,08,900 | 14,500 | 2,90,400 | 3,14,600 | 7,56,300 |
| 22. उत्तर प्रदेश . | 1,37,900 | 36,300 | 2,17,800 | 1,08,900 | 3,63,000 | 8,42,200 | 17,06,100 |
| 23. पश्चिमी बंगाल . | 1,63,100 | 36,300 | 2,17,800 | 1,81,500 | 9,43,800 | 3,34,000 | 18,76,800 |
| 24. गोवा . . | 43,600 | 10,900 | 1,08,900 | 43,600 | 1,74,200 | 3,08,600 | 6,89,800 |

## अनुसूची-III

पदीय आवासों के अनुरक्षण के लिए भत्ते

(नियम 7 देखिए)

| राज्य का नाम | मरम्मत | बाग | बिजली | जल | सुधार | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश . . . | 2,90,100 | 72,600 | 2,61,400 | 72,600 | 1,01,600 | 7,98,600 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश . . . | 3,14,600 | 1,45,200 | 1,74,200 | 25,400 | 54,500 | 7,13,900 |
| 3. असम . . . | 1,14,000 | 95,100 | 40,700 | 10,700 | 1,08,900 | 3,99,400 |
| 4. बिहार . . . . | 1,50,100 | 1,67,000 | 1,01,600 | 69,000 | 1,81,500 | 9,69,200 |
| 5. गुजरात . . . | 2,90,400 | 1,88,800 | 1,45,200 | 87,100 | 87,100 | 7,98,600 |
| 6. हरियाणा . . | 2,41,600 | 1,11,600 | 98,000 | 65,300 | 65,300 | 5,11,800 |
| 7. हिमाचल प्रदेश . . . | 2,15,200 | 1,30,700 | 1,08,900 | 39,900 | 36,300 | 4,61,000 |
| 8. कर्नाटक . . . | 3,63,000 | 3,63,000 | 1,81,500 | 1,81,500 | 3,63,000 | 14,52,000 |
| 9. केरल . . | 2,75,900 | 1,15,200 | 1,08,900 | 50,800 | 1,45,200 | 7,26,000 |
| 10. मध्य प्रदेश . . . | 2,10,500 | 1,88,800 | 72,600 | 7,300 | 72,600 | 5,51,800 |
| 11. महाराष्ट्र . . | 27,37,000 | 3,63,000 | 4,93,700 | 3,63,000 | 4,35,600 | 43,92,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. मणिपुर | 3,14,600 | 1,45,200 | 1,74,200 | 25,400 | 54,500 | 7,13,900 |
| 13. मेघालय | 3,14,600 | 1,45,200 | 1,74,200 | 25,400 | 54,500 | 7,13,900 |
| 14. मिजोरम | 3,14,600 | 1,45,200 | 1,74,200 | 25,400 | 54,500 | 7,13,900 |
| 15. नागालैण्ड | 1,30,700 | 1,08,900 | 1,08,900 | 14,500 | 54,500 | 4,17,500 |
| 16. उड़ीसा | 1,85,100 | 71,900 | 1,41,600 | 48,500 | 47,200 | 4,92,300 |
| 17. पंजाब | 1,88,800 | 1,88,800 | 1,30,700 | 87,100 | 87,100 | 6,82,500 |
| 18. राजस्थान | 2,10,500 | 1,88,800 | 72,600 | 36,300 | 72,600 | 5,80,800 |
| 19. सिक्किम | 36,300 | 72,600 | 36,300 | 21,800 | 36,300 | 2,03,300 |
| 20. तमिलनाडु | 7,47,800 | 4,64,600 | 3,99,300 | 1,23,400 | 3,63,000 | 20,98,100 |
| 21. त्रिपुरा | 2,17,800 | 1,45,200 | 1,74,200 | 50,800 | 1,45,200 | 7,33,200 |
| 22. उत्तर प्रदेश | 5,80,800 | 3,26,700 | 1,45,200 | 1,08,900 | 2,17,800 | 13,79,400 |
| 23. पश्चिमी बंगाल | 21,70,700 | 5,80,800 | 3,26,700 | 10,89,000 | 1,16,200 | 42,83,400 |
| 24. गोवा | 3,14,600 | 1,45,200 | 1,74,200 | 25,400 | 54,500 | 7,13,900 |

[फा. सं. 20/4/89-एम एण्ड जी.]

ए. के. बनर्जी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 343(अ) तारीख 30 मार्च, 1987 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

उक्त नियम सा.का.नि. सं. 532(अ) तारीख 29 मई, 1987 और सा.का.नि. सं. 70(अ) तारीख 1 फरवरी, 1989 द्वारा संशोधित किए गए थे।

IndiaCode

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 1990

G.S.R. 675(E):—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982 (43 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Governors (Allowances and Privileges) Rules, 1987, namely:

1. (1) These Rules may be called the Governors (Allowances and Privileges) Amendment Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the 30th day of July, 1990.

2. In the Governors (Allowances and Privileges) Rules, 1987, for Schedule II and III, the following Schedules shall be substituted, namely:

### SCHEDULE-II

(Allowances of Governors in respect of certain matters)

(See rule 6)

| Name of the State | Hospitality Expenses | Entertainment Expenses | Office Expenses | Maintenance and repairs of furnishings of Official residence(s) | Contract Allowance | Tour Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Andhra Pradesh | 1,30700 | 36,300 | 2,17,800 | 87,100 | 3,92,000 | 5,80,800 | 14,44.700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Arunachal Pradesh | 43,600 | 10,900 | 1,08,900 | 43,600 | 1,74,200 | 6,17,100 | 9,98,300 |
| 3. Assam | 54,500 | 18,200 | 1,81,500 | 72,600 | 2,17,800 | 3,99,300 | 9,43,900 |
| 4. Bihar | 54,500 | 18,200 | 2,17,800 | 1,01,600 | 2,32,300 | 4,21,000 | 10,45,400 |
| 5. Gujarat | 1,30,700 | 36,300 | 2,17,800 | 1,08,900 | 4,35,600 | 3,63,000 | 12,92,300 |
| 6. Haryana | 72,600 | 21,800 | 1,45,200 | 72,600 | 3,63,000 | 2,90,400 | 9,65,600 |
| 7. Himachal Pradesh | 72,600 | 21,800 | 1,45,200 | 1,08,900 | 3,63,000 | 2,90,400 | 10,01,900 |
| 8. Karnataka | 72,600 | 36,300 | 1,81,500 | 72,600 | 7,26,000 | 3,63,000 | 14,52,000 |
| 9. Kerala | 65,300 | 21,800 | 1,45,200 | 72,600 | 3,99,300 | 2,17,800 | 9,22,000 |
| 10. Madhya Pradesh | 87,100 | 29,000 | 2,17,800 | 72,600 | 3,63,000 | 3,63,000 | 11,32,500 |
| 11. Maharashtra | 2,17,800 | 36,300 | 2,17,800 | 3,63,000 | 10,89,000 | 9,07,500 | 28,31,400 |
| 12. Manipur | 3,600 | 10,900 | 1,08,900 | 43,600 | 1,74,200 | 3,08,600 | 6,89,800 |
| 13. Meghalaya | 43,600 | 10,900 | 1,08,900 | 43,600 | 1,74,200 | 3,08,600 | 6,89,800 |
| 14. Mizoram | 43,600 | 10,900 | 1,08,900 | 43,600 | 1,74,200 | 6,17,100 | 9,98,300 |
| 15. Nagaland | 29,000 | 10,900 | 1,08,900 | 18,200 | 2,90,400 | 3,02,500 | 7,59,900 |
| 16. Orissa | 54,500 | 18,200 | 1,45,200 | 72,600 | 2,28,000 | 3,41,200 | 8,59,700 |
| 17. Punjab | 72,600 | 21,800 | 1,45,200 | 72,600 | 3,73,000 | 3,63,000 | 10,38,200 |
| 18. Rajasthan | 87,100 | 21,800 | 1,45,200 | 72,600 | 3,63,600 | 3,63,000 | 10,52,700 |
| 19. Sikkim | 54,500 | 21,800 | 1,45,200 | 43,600 | 1,81,500 | 3,02,500 | 7,49,100 |
| 20. Tamil Nadu | 1,45,200 | 36,300 | 2,17,800 | 1,81,500 | 7,26,000 | 3,63,000 | 16,69,800 |
| 21. Tripura | 21,800 | 6,100 | 1,08,900 | 14,500 | 2,90,400 | 3,14,600 | 7,56,300 |
| 22. Uttar Pradesh | 1,37,900 | 36,300 | 2,17,800 | 1,08,900 | 3,63,000 | 8,42,200 | 17,06,100 |
| 23. West Bengal | 1,63,400 | 36,300 | 2,17,800 | 1,81,500 | 9,43,800 | 3,34,000 | 18,76,800 |
| 24. Goa | 43,600 | 10,900 | 1,08,900 | 43,600 | 1,74,200 | 3,08,600 | 6,89,800 |

## SCHEDULE-III

Allowances for the maintenance of Official Residences

(See rule 7)

| Name of the State | Repairs | Gardens | Electricity | Water | Improvement | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Andhra Pradesh | 2,90,400 | 72,600 | 2,61,400 | 72,600 | 1,01,600 | 7,98,600 |
| 2. Arunachal Pradesh | 3,14,600 | 1,45,200 | 1,74,200 | 25,400 | 53,500 | 7,13,900 |
| 3. Assam | 1,14,000 | 95,100 | 40,700 | 40,700 | 1,08,900 | 3,99,400 |
| 4. Bihar | 4,50,100 | 1,67,000 | 1,01,600 | 69,000 | 1,81,500 | 9,69,200 |
| 5. Gujarat | 2,90,400 | 1,88,800 | 1,45,200 | 87,100 | 87,100 | 7,98,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Haryana | 1,41,600 | 1,41,600 | 98,000 | 65,300 | 65,300 | 5,11,800 |
| 7. Himachal Pradesh | 1,45,200 | 1,30,700 | 1,08,900 | 39,900 | 36,300 | 4,61,000 |
| 8. Karnataka | 3,63,000 | 3,63,000 | 1,81,500 | 1,81,500 | 3,63,000 | 14,52,000 |
| 9. Kerala | 2,75,900 | 1,45,200 | 1,08,900 | 50,800 | 1,45,200 | 7,26,000 |
| 10. Madhya Pradesh | 2,10,500 | 1,88,800 | 72,600 | 7,300 | 72,600 | 5,51,800 |
| 11. Maharashtra | 27,37,000 | 3,63,000 | 4,93,700 | 3,63,000 | 4,35,600 | 43,92,300 |
| 12. Manipur | 3,14,600 | 1,45,200 | 1,74,200 | 25,400 | 54,500 | 7,13,900 |
| 13. Meghalaya | 3,14,600 | 1,45,200 | 1,74,200 | 25,400 | 54,500 | 7,13,900 |
| 14. Mizoram | 3,14,600 | 1,45,200 | 1,74,200 | 25,400 | 54,500 | 7,13,900 |
| 15. Nagaland | 1,30,700 | 1,08,900 | 1,08,900 | 14,500 | 54,500 | 4,17,500 |
| 16. Orissa | 1,85,100 | 71,900 | 1,41,600 | 46,500 | 47,200 | 4,92,300 |
| 17. Punjab | 1,88,800 | 1,88,800 | 1,30,700 | 87,100 | 87,100 | 6,82,500 |
| 18. Rajasthan | 2,10,500 | 1,88,800 | 72,600 | 36,300 | 72,600 | 5,80,800 |
| 19. Sikkim | 36,300 | 72,600 | 36,300 | 21,800 | 36,300 | 2,03,300 |
| 20. Tamil Nadu | 7,47,800 | 4,64,600 | 3,99,300 | 1,23,400 | 3,63,000 | 20,98,100 |
| 21. Tripura | 2,17,800 | 1,45,200 | 1,74,200 | 50,800 | 1,45,200 | 7,33,200 |
| 22. Uttar Pradesh | 5,80,800 | 3,26,700 | 1,45,200 | 1,08,900 | 2,17,800 | 13,79,400 |
| 23. West Bengal | 21,70,700 | 5,80,800 | 3,26,700 | 10,89,000 | 1,16,200 | 42,83,400 |
| 24. Goa | 3,14,600 | 1,45,200 | 1,74,200 | 25,400 | 54,500 | 7,13,900 |

[File No. 20/4/89—M&G]

A. K. BASAK, Addl. Secy.

NOTE: The Principal rules were notified vide GSR 343 (E) dated the 30th March, 1987.

The said Rules were amended vide GSR No. 532 (E) dated the 29th May, 1987 and vide GSR No. 70(E) dated the 1st February, 1989.

2052 GI/90

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990